

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार
भाग - 2
संबंधित उपवनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है
प्रपत्र - 3

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/MIN/41389/2019

7	परियोजना का नाम/स्कीम का स्थान	
i	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
ii	जिला	कोरबा
iii	वन प्रभाग	कटघोरा
iv	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)	94.293 हे0
v	वन की कानूनी स्थिति	
	वन भूमि	निरंक।
	राजस्व वन क्षेत्र	94.293 हे.
vi	हरियाली का घनत्व	>0.3
i	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफएफआरएल-2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एफ.-4 भी संलग्न किया जाये।	खनन और संबंधित गतिविधियों के लिए मांग की गई वन भूमि राजस्व वन भूमि है एवं मौके पर स्थित वनस्पति की सघनता 0.3 से भी कम है। वृक्षों की संख्या कुल 610 है। वृक्षों का गणना पत्रक/विदोहन योजना चेकलिस्ट क्रमांक-12 में संलग्न है। उपरोक्त भूमि व्यपवर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने के कारण आवेदित राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन करना अति आवश्यक है।
ii	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र का संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संवेदनशील नहीं है।?
iii	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन का सीमा से अनुमानित दूरी	07 कि.मी. से अधिक
iv	क्या यह राष्ट्रीय वन उद्यान, वनजीव अभ्यारण, जीव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणी अनुबंधित की जाए)	नहीं है।
v.	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है। (यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें)	नहीं है।
vi	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/परस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। (यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा प्रधिकरण से अनापत्ती प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो दें।)	नहीं है।

8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकारण से अनापत्ती प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हो तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं ?	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए आवेदित क्षेत्र से दो गुने क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए विस्तृत योजना चेकलिस्ट क्रमांक-16 में संलग्न है।
i	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वन्नेतर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र के आस-पास से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या: प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	चेकलिस्ट क्रमांक-16 में संलग्न है।
ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वन्नेतर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र के आप-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	चेकलिस्ट क्रमांक-16 में संलग्न है।
iii	पोपण की जाने वाली प्रजातियाँ सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	चेकलिस्ट क्रमांक-16 में संलग्न है।
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	चेकलिस्ट क्रमांक-16 में संलग्न है।
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उपवनसंरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	चेकलिस्ट क्रमांक-17 में संलग्न है।
11	जिला उपवनसंरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट	संलग्न है।


वनमण्डल अधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा